सं. 8/3/2004-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2006

आदेश

भारत सरकार एतद्द्वारा यह निर्णय लेती है कि डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए "लाइसेंस करार की अनुसूची" में निम्नलिखित को खण्ड 6.7 के रूप में जोड़ा जाएगा।

"6.7 : किसी ऐसे टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल जो भारत के क्षेत्र के भीतर देखने के लिए भारत सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया है, को उसकी डीटीएच सेवा में लाने के लिए अथवा शामिल करने के लिए कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

बशर्ते ऐसे किसी टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल जिसके संबंध में इस आदेश के जारी होने की तारीख को अथवा इससे पहले केन्द्र सरकार को पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया गया है, को इस प्रकार के आदेश की तारीख से छः माह की अवधि अथवा इस प्रकार के पंजीकरण को करने अथवा मना करने तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अपनी डीटीएच सेवा में लाने के लिए अथवा शामिल करने के लिए जारी रखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त बशर्ते दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 से अपलिंक के लिए प्रदान की गई अनुमति के अनुसार अपलिंक किए गए टेलीविजन चैनलों को "पंजीकृत" टीवी चैनल माना जाएगा और इन्हें डीटीएच सेवा में लाया जा सकता है अथवा शामिल किया जा सकता है।

(पी.के. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग।
3. सचिव, गृह मंत्रालय।
4. सचिव, वित्त मंत्रालय।
5. सचिव, राजस्व विभाग।
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग।
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
8. सीईओ, प्रसार भारती।
9. सचिव, टीआरएआई।
10. मैसर्स एएससी एंटरप्राइजेज लि0, जे-27, साऊथ एक्टेंशन फेज-I, नई दिल्ली-29.
11. मैसर्स टाटा स्काई प्राइवेट लि0, बंसीवाला मिल कम्पाउंड, आफ डा0 ई. मोजेज रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई-400011.